दिनांक 11.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 253/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

Statewide Special Drive against Drunken Driving

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** के निर्देशन में यातायात निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 09 एवं 10 मई 2026 (शनिवार एवं रविवार) को सम्पूर्ण प्रदेश में मद्यपान कर वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपदीय नोडल अधिकारी, यातायात एवं क्षेत्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में परिवहन विभाग के सहायक सम्भागीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर संयुक्त अभियान संचालित किया गया।

प्रदेश में विगत वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में घटित कुल सड़क दुर्घटनाओं में क्रमशः 8.61%, 6.05% एवं 3.51% दुर्घटनाएँ मद्यपान कर वाहन चलाने के कारण हुईं।

आंकड़ों की समीक्षा में यह प्रकाश में आया है कि सप्ताहांत (Weekends) पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा नशे की अवस्था में वाहन चलाया जाता है, जिससे मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से रात्रिकाल में वाहन चालकों एवं निर्दोष नागरिकों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

अभियान के दौरान टोल प्लाजाओं पर प्रत्येक लेन के लिए समर्पित (Dedicated) चेकिंग टीमें नियुक्त की गईं तथा उन्हें टॉर्च, रिफ्लेक्टिव जैकेट, बॉडी वॉर्न कैमरा, लाउड हेलर एवं ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराये गये।

अभियान में लगी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा “Meet and Greet” की प्रक्रिया अपनाते हुये परिवार के साथ यात्रा कर रही महिलाओं से कुशलक्षेम पूछा गया तथा यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु भी समुचित प्रयास किये गये।

इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री परिवहन करने वाले डंपर/ट्रकों की HSRP (High Security Registration Plate) का मौके पर ही सत्यापन किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अन्तर्गत रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 mg प्रति 100 ml (0.03% BAC) से अधिक होने पर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।

ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में असफल पाये जाने पर प्रथम अपराध हेतु 10,000 रूपये का अर्थदण्ड अथवा 6 माह का कारावास अथवा दोनों तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में 15,000 रूपये का अर्थदण्ड अथवा 2 वर्ष का कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।

प्रदेश में कुल 135 टोल प्लाजाओं पर यातायात एवं नागरिक पुलिस के कुल 3,645 अधिकारी/कर्मचारी — जिनमें 135 निरीक्षक, 270 उपनिरीक्षक, 1,080 मुख्य आरक्षी/आरक्षी (पुरुष), 1,080 मुख्य आरक्षी/आरक्षी (महिला) एवं 1,080 होमगार्ड अभियान में तैनात रहे।

अभियान के दौरान कुल 69,683 वाहनों की जाँच की गई तथा मद्यपान कर वाहन चलाते हुए पाये गये 2,654 वाहन चालकों का 02 करोड़ 65 लाख 40 हजार (2,65,40,000) रूपये अर्थदण्ड का चालान किया गया।

दिनांक 11.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 254/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली एवं जीयनपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में अवैध सम्पत्ति किया गया कुर्क

- **माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के विरूद्ध पंजीकृत है कुल 78 मुकदमे।**
- **हत्या, लूट, रंगदारी व संगठित अपराध से अर्जित धन से तैयार "बड़ी हवेली" (बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रु) पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही।**
- **हत्या, रंगदारी व संगठित अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रहार, गैंग लीडर ध्रुव सिंह की हवेली कुर्क।**

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** द्वारा संगठित अपराधियों एवं माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक- 11.05.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जो थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) है तथा गैंग नम्बर IR-36 का लीडर है, के विरुद्ध थाना जीयनपुर व कोतवाली पर उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत पंजीकृत मुकदमों में धारा 14 (1) के तहत बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।

ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया है। जिसके विरुद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 488/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट व थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 601/2025 धारा 3(1), 2(b)(i) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी एवं अन्य संगठित अपराधों के माध्यम से अवैध धन अर्जित किया है तथा ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का अवैध धन से व्यापक जिर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य कराया गया।

उक्त भवन, जिसे "बड़ी हवेली" के नाम से जाना जाता है, अपराधियों एवं गैंग के सदस्यों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है। भवन के पुनर्निर्माण जैसे कार्य अवैध धन से कराए गए। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त निर्माण एवं मरम्मत कार्य का मूल्यांकन किया गया है।

अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 1992 से अब तक हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी एवं अन्य गंभीर अपराधों में कुल 78 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ द्वारा विधिक अभिमत में उक्त सम्पत्ति के अर्जन एवं जिर्णोद्धार हेतु वैध आय का स्रोत नही बताया गया, तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार सगड़ी को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त करते हुए थाना जीयनपुर पुलिस एवं राजस्व विभाग को नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

<u>गैग लीडर का नाम,पता-</u>

ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जो थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) है तथा गैंग नम्बर IR-36 का लीडर है।

<u>गैग लीडर का आपराधिक इतिहास (कुल 78 अभियोग)-</u>

01. मु0अ0सं0 122/1992 धारा 504, 506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 183/1992 धारा 435 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
03. मु0अ0सं0 191/1993 धारा शस्त्र अधिनियम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
04. मु0अ0सं0 307/1993 धारा 325, 504 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
05. मु0अ0सं0 158/1994 धारा 302 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
06. मु0अ0सं0 152/1994 धारा 395, 397, 412 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
07. मु0अ0सं0 153/1995 धारा 307 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
08. मु0अ0सं0 154/1995 धारा 25/30 शस्त्र अधिनियम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
09. मु0अ0सं0 97/1995 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 178/1995 धारा 302 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 353/1996 गुंडा एक्ट थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 249/1998 धारा 302,120B भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 263/1998 धारा 147,148,149,302,353 भादवि व एससी/एसटी एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 88/1999 एनएसए थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
15. मु0अ0सं0 158/2002 धारा 392,411 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
16. मु0अ0सं0 49/1999 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
17. मु0अ0सं0 219/2001 धारा 302,120B भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
18. मु0अ0सं0 298/2002 धारा 147,148,149,307,353,336,342 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
19. मु0अ0सं0 192/2002 गुंडा एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
20. मु0अ0सं0 153/1995 धारा 307 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
21. मु0अ0सं0 154/1995 धारा 25/30 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
22. मु0अ0सं0 67/2004 गुंडा एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
23. मु0अ0सं0 997/2007 गुंडा एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
24. मु0अ0सं0 305/2004 धारा 302/304/120B व 7 CLA एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
25. मु0अ0सं0 167/2005 धारा 110 CrPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
26. मु0अ0सं0 1226/2007 धारा 110 CrPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
27. मु0अ0सं0 1197/2007 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
28. मु0अ0सं0 579/2007 धारा 4/10 वन अधिनियम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
29. मु0अ0सं0 1332/2007 गुंडा एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

30. मु0अ0सं0 1071/2008 धारा 413,302,120B भादवि व 7 CLA एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
31. मु0अ0सं0 428/2008 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
32. मु0अ0सं0 2109/2008 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
33. मु0अ0सं0 105/2012 धारा 147,148,504,506 भादवि व एससी/एसटी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
34. मु0अ0सं0 430/2013 धारा 147,148,364,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
35. मु0अ0सं0 432/2013 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
36. मु0अ0सं0 165/2013 धारा 147,148,149,452,352,504,506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
37. मु0अ0सं0 474/2013 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
38. मु0अ0सं0 457/2013 धारा 110 CrPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
39. मु0अ0सं0 355/2008 धारा 384,506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
40. मु0अ0सं0 190/2010 धारा 427,447,448 भादवि व लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
41. मु0अ0सं0 512/2010 धारा 504,506,384 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
42. मु0अ0सं0 1021/2007 धारा 307,452,323,504,506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
43. मु0अ0सं0 301/2002 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
44. मु0अ0सं0 145/2019 धारा 386 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
45. मु0अ0सं0 13/2010 धारा 147,148,149,302,120B भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
46. मु0अ0सं0 152/2010 धारा 302,307,120B भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
47. मु0अ0सं0 34/2010 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
48. मु0अ0सं0 348/2013 धारा 147,302,120B भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
49. मु0अ0सं0 467/2013 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
50. मु0अ0सं0 304/2018 धारा 386,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
51. मु0अ0सं0 49/2019 धारा 384,323,504 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
52. मु0अ0सं0 394/2019 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
53. मु0अ0सं0 122/2020 धारा 386,504,506,507 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
54. मु0अ0सं0 269/2020 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
55. मु0अ0सं0 315/2020 धारा 147,149,386,507 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
56. मु0अ0सं0 312/2020 धारा 353,386,120B,507 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
57. मु0अ0सं0 274/2020 धारा 419,420,467,468,471,120B,506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
58. मु0अ0सं0 378/2020 धारा 147,386,506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
59. मु0अ0सं0 395/2020 धारा 384,506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
60. मु0अ0सं0 170/2021 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
61. मु0अ0सं0 32/2021 धारा 143,506,120B,386 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
62. मु0अ0सं0 438/2020 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
63. मु0अ0सं0 149/2021 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

64. मु0अ0सं0 237/2021 धारा 352,380,386,457,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

65. मु0अ0सं0 386/1993 धारा 395,397,412 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ।

66. मु0अ0सं0 795/1998 धारा 302,307 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ।

67. मु0अ0सं0 296/2008 धारा 302,120B भादवि थाना घोसी जनपद मऊ।

68. मु0अ0सं0 93/2013 धारा 302,120B भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ।

69. मु0अ0सं0 147/2013 धारा 386,506 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ।

70. मु0अ0सं0 599/2012 धारा 406,506 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ।

71. मु0अ0सं0 402/2003 धारा 147,148,149,302 भादवि व 7 CLA एक्ट थाना खैराबाद शाहगंज जनपद जौनपुर।

72. मु0अ0सं0 185/2004 धारा 364 भादवि थाना केराकत जनपद जौनपुर।

73. मु0अ0सं0 15/2021 धारा 302,307,120B,34,201,212,176 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ।

74. मु0अ0सं0 488/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

75. मु0अ0सं0 155/2023 धारा 420,467,468,471,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

76. मु0अ0सं0 207/2023 धारा 420,467,468,471,409 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

77. मु0अ0सं0 224/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

78. मु0अ0सं0 601/2025 धारा 3(1),2(b)(i) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं माफियाओं के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर कार्यवाही जारी है।

दिनांक 11.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 255/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 08 लाख 06 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 11.05.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिपयाना अंडरपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मोहम्मद कैप सहित अभियुक्त 2–मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशदेही से लूटे गये 08 लाख 06 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.05.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहम्मद कैप निवासी डी–134 सेक्टर–11 प्रताप विहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–मोहम्मद रिजवान निवासी सी–25 वार्ड नं0–8 माता कॉलोनी थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूटे गये 08 लाख 06 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

जनपद अमेठी/थाना पीपरपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 11.05.2026 को थाना पीपरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सचिन उर्फ नागेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पीपरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पीपर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन उर्फ नागेन्द्र निवासी गौरामाफी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.05.2026 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त इम्तियाज उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मीरजापुर, सोनभद्र के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अहरौरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इम्तियाज उर्फ राजू निवासी कसाई टोला थाना चौनपुर जनपद भभूआ बिहार।

जनपद रामपुर/थाना अजीमनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **नगद रूपये बरामद**

दिनांक 10.05.2026 को थाना अजीमनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नगलिया आकिल के पास से अभियुक्त मोसिम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, नगद रूपये बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अजीमनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोसिम निवासी नगला गणेश थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–नगद रूपये।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–मो0साकिब को धारा 302/34/201/404 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–मो0आसिफ को धारा 302/34/201/404 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना नवाबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/326/366/376/302/504 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ए एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हिमांशू को आजीवन कारावास व 01 लाख 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोण्डा/थाना मोतीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेन्द्र को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना मेरापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना मेरापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नीतेन्द्र उर्फ सिन्टू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————